www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 114 नागपुर, मंगलवार, 21 मार्च 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

उज्ज्वला योजना : 2 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में मिला एलपीजी कनेक्शन

नई दिल्ली

मोदी सरकार ने सोमवार को कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) दो करोड़ परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया करा दिया गया है और देश में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 19 करोड़ हो गयी है।

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन साल में पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। गोयल ने कहा कि अभी तक दो करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया करा दिया गया है। शेष तीन करोड़ परिवारों को भी जल्द ही ऐसे कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि घरों में खाना बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा साधन मुहैया कराने के मकसद से देश में उन्नत बायोमास कुकस्टोव को बढ़ावा देने की खातिर उन्नत चूल्हा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत अब तक 36,940 परिवारों के बीच उन्नत कुकस्टोव वितरित किए गए हैं।

जाकिर नाइक पर ईडी का शिकंजा, जब्त की 18.37 करोड़ की संपत्ति

नई दिल्ली

विवादस्पद धार्मिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जहां एक ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाइक की संस्थाओं की लगभग 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, वहीं एनआइए ने पूछताछ के लिए दूसरा समन भेज दिया है। एनआइए के पहले समन पर नाइक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। यदि समन के बावजूद नाइक पूछताछ के लिए नहीं हाजिर होता है, तो उसके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी कराया जाएगा।

बाद में उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है और अंतत इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच से साफ है कि जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हारमोनी मीडिया और इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को दुरुपयोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और नाइक कट्टर उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए होता था। इन उपदेशों में जाकिर नाइक आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर करता था। इसी कारण केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित कर चुकी है और दिल्ली हाईकोर्ट इस पर मुहर लगा चुका है। इसके पहले ईडी नाइक को चार समन जारी कर चुका है, लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं आया इसके बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया गया। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर जाकिर नाइक की तीन संस्थाओं से जुड़ी 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल

15 दिन में संपत्ति का ब्यौरा दें अधिकारी

लखनऊ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने लोकभवन में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा व केशव प्रसाद मौर्य भी थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को लोक संकल्प पत्र के हिसाब से योजना का निर्देश देने के साथ कहा कि अधिकारी 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। प्रदेश का बजट 15 जून से 15 जुलाई के बीच पेश होगा, ऐसा उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी अब महिलाओं के प्रति अपना रुख बदलें। तहसील व थानों में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी लोक संकल्प के हिसाब से योजना बनाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियो को 15 दिन में सम्पति की जानकारी देने को कहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान पहला आदेश यह जारी किया गया कि सभी सचिव और प्रमुख सचिव अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देंगे, जिसके लिए सभी अधिकारियों को 15 दिनों का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरप्रदेश का बजट 15 जून से 15 जुलाई तक पेश होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लोकभवन में सभी सचिव और प्रमुख सचिव की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने सभी अफसरों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही बैठक में सभी अधिकारियों को 24 घंटे में संकल्प पत्र पढ़कर उसे लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

इसके साथ ही सूबे में गन्दगी की समस्या को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किये गए हैं। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यह भी साफ़ किया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि रोजगार, किसान और मजदूरों के मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस बैठक में मुख्य सचिव राहुल भटनागर, अपर मुख्य सचिव सदाकांत, अनीता जैन भटनागर, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव परिवहन अराधना शुक्ला तथा सभी प्रमुख सचिव व सचिव मौजूद थे। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल के साथ संस्कृति सचिव डॉ. हरिओम के साथ जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी व एसएसपी मंजिल सैनी भी बैठक में थीं।

केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े चार बिलों को दी मंजूरी

नई दिल्ली

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जीएसटी के सहायक चार विधेयकों मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) समेत केंद्र शासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे राज्यों की विधानसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर किसी तरह की देरी करने के मूड में नहीं है। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है।

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी।

एस-जीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है। मंजूरी के बाद जीएसटी कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।

सरकार को उम्मीद है कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और जीएसटी मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा और एस-जीएसटी को जल्दी ही राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी, जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट के बाद संसद में जाएंगे ये बिल

जीएसटी को लागू करने से पहले जीएसटी के सहयोगी बिलों को संसद की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसमें कम्पनसेशन लॉ, सेंट्रल-जीएसटी (सी-जीएसटी) और इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन टेरिटरी-जीएसटी (यूटी-जीएसटी) शामिल है।

कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इन बिलों को संसद में रखा जाएगा। इन 5 बिलों में से स्टेट-जीएसटी (एस-जीएसटी) को हर राज्य की विधानसभा की तरफ से पास किया जाना है, जबकि अन्य चार को संसद की तरफ से मंजूरी मिलना जरूरी है।

चीन ने भारत को दी धमकी

दलाई लामा के लिए रिश्ते ना करें खराब

बीजिंग

दलाई लामा के मुद्दे पर चीन ने एक बार फिर से भारत के रुख के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उसने भारत को आगाह किया है कि वह उसकी चिंता के विषयों को तवज्जो दें अन्यथा दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। चीन ने यह बात बिहार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में दलाई लामा को आमंत्रित किये जाने पर कही है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनीइंग ने कहा, हाल के दिनों में भारत ने कई मुद्दों पर चीन की मान्यताओं और आपत्तियों को सम्मान नहीं दिया है।

गोवा : मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, परीकर के पास गृह और वित्त विभाग

पणजी

गोवा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मनोहर परीकर ने सोमवार को अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। परीकर ने अपने पास गृह और वित्त विभाग रखा है जबकि दूसरे मंत्रियों को एक एक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के दो मंत्रियों फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मडकाइकर को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई, विनोद पलेंसर और जयेश सलगांवकर को क्रमश: योजना, जल संसाधन और हाउसिंग बोर्ड विभाग दिया गया है। सरकार की अन्य सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलिकर और मनोहर अझगांवकर को क्रमश: पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विभाग सौंपे गए हैं। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों रोहन खुंटे और गोविंद गावड़े को क्रमश: राजस्व तथा कला एवं संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया है।

बीएमसी मेयर की चेतावनी, हड़ताली डॉक्टर काम पर लौटें

मुंबई

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सरकारी अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर पर हुए हमले के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर हैं। इस हड़ताल से मरीजों की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मुंबई मेयर वी महदेश्वर ने शाम तक काम शुरू करने के लिए डॉक्टरों से अपील की है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है।

वहीं डीजी पुलिस ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि विभिन्न अस्पतालों में 400 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वह ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं, जहां पर उनकी अपनी ही जान खतरे में पड़ जाए। फिलहाल मुंबई के बड़े अस्पतालों के 75 फीसदी से ज्यादा रेजीडेंट डॉक्टर काम पर नहीं हैं। वहीं मुंबई हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने विरोध जताने के लिए सामूहिक अवकाश का रास्ता चुना है।

विभिन्न अस्पतालों में 400 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे

रविवार को सायन अस्पताल में एक मरीज की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों ने एक चिकित्सक की कथित तौर पर पिटाई कर दी थी। इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले धुले में एक राजकीय अस्पताल में भी हुई थी। रेजीडेंट डाक्टरों ने सायन अस्पताल के डीन को लिखे एक पत्र में कहा कि वे ड्यूटी पर आने में असमर्थ हैं क्योंकि वे काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं।

पाकिस्तान में लापता दोनों खादिम भारत लौटे, सुषमा से मिलकर कहा - शुक्रिया

नई दिल्ली

पाकिस्तान में लापता दो भारतीय खादिम सैयद आसिफ निजामी और नाजिम अली निजामी सोमवार को स्वदेश लौट आए। दिल्ली पहुंचने पर दोनों खादिमों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों खादिमों ने अपने लापता होने की खबर पर भारत सरकार की ओर से तत्परता दिखाए जाने के लिए सुषमा को शुक्रिया कहा।

विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद नाजिम निजामी ने मीडियाकर्मियों से कहा, मैं पाकिस्तान फिर जाऊंगा, फिर पैगाम-ए-मोहब्बत लेकर जाऊंगा और डंके की चोट पर जाऊंगा। आसिफ निजामी ने कहा, मैं जियारत के लिए बाबा फरीद गंज के दरबार गया। मैं दाता दरबार भी गया। हमें वीआईपी कमरों में रखा गया।

पाकिस्तान में पिछले सप्ताह हो गए थे लापता

गौरतलब है कि पाकिस्तान के कराची हवाईअड्डे से पिछले सप्ताह एकाएक लापता होने वाले हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादानशीं और उनके भतीजे सोमवार को सुरक्षित स्वदेश लौट आए। सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी के यहां पहुंचने पर हवाईअड्डे पर उनके परिजन और शुभचिंतकों ने उनका स्वागत किया।

हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के सज्जादानशीं आसिफ निजामी के पुत्र आमिर निजामी ने अपने पिता और भाई की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के लिए उसका धन्यवाद दिया।

देश के खिलाफ काम कर रहे हैं पाकिस्तान में लापता होने वाले खादिम - सुब्रमण्यम स्वामी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को दावा किया कि पाकिस्तान में लापता होने वाले दोनों भारतीय खादिम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्वामी के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो सकता है।

स्वामी ने कहा, दोनों खादिम अपने को बचाने और सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। खादिमों का कहना है कि उन्हें खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के रूप में पेश किया गया।

हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास सूचना है कि वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे पहले सूफी खादिम नाजिम निजामी ने कहा कि पाकिस्तान के एक अखबर 'उम्मत' ने उन दोनों के खिलाफ झूठी खबर छापी।

अखबार ने उन्हें रॉ एजेंट के रूप में पेश किया। दिल्ली में निजामी ने मीडिया से कहा, पाकिस्तान में उम्मत नाम का एक अखबार है उसने हम लोगों के रॉ एजेंट होने की झूठी खबर प्रकाशित की।

अपने लापता होने की खबर को पाकिस्तान के साथ तत्परता के साथ उठाने के लिए दोनों खादिमों ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को शुक्रिया कहा।

महिला आरक्षण की मांग को लेकर डीएमके का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की महिला विंग ने अपनी राज्यसभा सदस्य कनिमोझी के नेतृत्व में दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक महिला आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कनिमोझी ने कहा कि हम विधेयक को लेकर सभी पार्टियों से समर्थन की उम्मीद करते हैं। कनिमोझी ने कहा कि देश के ज्यादातर राजनीतिक दल महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। इसके बावजूद आज तक इसे कानून नहीं बनाया जा सका। ऐसे में इसे लेकर एक सवाल खड़ा होता है।

कनिमोझी के मुताबिक डीएमके की महिला विंग इस मुद्दे को लेकर

रैली और विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिससे दोबारा से इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षत किया जा सके। कनिमोझी ने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मौजूदा समय में कोई भी इसे लेकर बात नहीं कर रहा है।

महिला आरक्षण बिल के प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सभी सीटों पर महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सभा में इस बिल को नौ मार्च 2010 को पास कर दिया गया था। पहली बार इस बिल का प्रस्ताव वर्ष 1996 में लाया गया था। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक पारित नहीं हुआ है।

दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध से चुनाव आयोग सहमत

नई दिल्ली

चुनाव आयोग दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाये जाने के पक्ष में है। आयोग ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका में दोषी करार लोगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अयोग्य ठहराये जाने की मांग का समर्थन किया है। इतना ही नहीं आयोग ने जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग का भी समर्थन किया है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीमकोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में ये बात कही है। भाजपा नेता और सुप्रीमकोर्ट के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मुख्यता तीन मांगे की हैं। आयोग ने दाखिल हलफनामे में कहा है कि वह जनहित याचिका में की गई पहली और दूसरी मांग का समर्थन करता है। उपाध्याय की याचिका में पहली मांग की है कि जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के आपराधिक मुकदमों के एक साल के भीतर निपटारे के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएं और दोषी ठहराए गये लोगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अयोग्य माना जाए।

दूसरी मांग में चुनाव सुधार से संबंधी विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। तीसरी मांग है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय होनी चाहिए। आयोग ने तीसरी मांग के बारे में कहा है कि ये मुद्दा विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है और इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी।

आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि चुनाव सुधार के बारे में उसकी कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के सचिव के साथ कई बैठकें हुई हैं। आयोग का कहना है कि विधि आयोग की चुनाव सुधार संबंधी 244वीं और 255वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के बारे में उसने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है जो कि अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन है। आयोग ने इस बारे में गत 25 जुलाई को कानून मंत्री को भेजे पत्र को भी जवाब के साथ संलग्न किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक याचिका का जवाब दाखिल नहीं किया है। मामले पर 28 मार्च को सुनवाई होगी।

उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि न्यायपालिका या कार्यपालिका का कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो वह अपने आप निलंबित हो जाता है और फिर जीवनभर के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है, लेकिन विधायिका के लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता उनके लिए नियम भिन्न है।

सांसद विधायक दोषी करार और सजायाफ्ता होने के बावजूद अपनी राजनैतिक पार्टी बना सकता है उसका पदाधिकारी हो सकता है। यहां तक कि वह व्यक्ति सजा पूरी होने के छह साल बाद चुनाव लड़ सकता है और मंत्री भी बन सकता है। याचिका में दोषी करार सांसद विधायक पर जीवनभर के लिए रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ऐसा किये बगैर राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुक सकता।